Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-07-2021 4:50 PM

Fee Receipt No	:	202102015007484	Receipt Date	:	15/07/2021
Name	:	RAJ NARAIN SHARMA AS REGISTRAR DR BHEEMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY ,	Document S. No.	:	202101015006825
Address	:	B-277 ,DURGAPURA ,JAIPUR ,JAIPUR			
Document Type	:	Allotment or Sell by State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 200**
			Total Amount	:	**₹ 200**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1629241961758 ₹ 200

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	2000100099999R	Receipt Date	15-JUL-2021 16:45
S R Location	JAIPUR-I		
Receipt No	RJ1629241961758		
Name Of Seller	JDA		
Name Of Buyer	DR BHEEMRAV AMBEDKAR LAW UNIVERSITY		
Type of Document	33 - Lease Deed Or Sale Deed, Executed In Respect Of Land Alloted/Sold By State Government, Rhb, Udh/Local Bodies, Riico, Ps, Gp, Kum, Rschfa And Any Other Authority Or Enterprises Of The State Government, Submitted For Registration On Or Before 31-12-2020 (In Favour Of Male)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/RAMBAGH		

Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	**Amount (Rs.)**	**Particulars**	**Amount (Rs.)**
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 200
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ **200**	**Service Charges**	₹ **10**
Grand Total	₹ **210**		

(Rupees Two Hundred Ten Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सार्वजनिक निगमों/सरकारी बोर्ड एवं संस्थाओं तथा धर्मार्थ एवं दानदाता संस्थाओं हेतु शहरी जमाबन्दी के आधार पर संस्थागत प्रयोजनों के लिये रियायती दर पर आवंटित भूमि के उपयोग/उपभोग हेतु पट्टा

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 14.07. 20 21 को, विक्रय-पत्र संख्या D-1926 सन् 2021 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर संस्था (नाम) कुलसचिव, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर पंजीकृत है (पंजीयन सं. अधि: 6/2019 दिनांक 26.02.2019) जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया है और इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग में वैसा अर्थ निकले, उस संस्था/बोर्ड/प्रबन्धक-कारिणी भी सम्मिलित होंगे के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रु. नि: शुल्क (अक्षरे — रुपया — पैसे मात्र) को रकम के नजराने जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों व साथ-साथ आवंटन की शर्तों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू शर्तों को पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है, उपयोग/उपभोग हेतु) प्रदान करती है जो संस्थागत योजना दहमी कलां योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में प्लाट नं० 8 रंग से दिखलाया गया है, और जिसे निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों वीधनों, शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड आवंटी को पट्टे (लीज-होल्ड) के आधार पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. आवंटित भूमी व इसके पश्चात् निर्मित भवन को संस्था किसी को भी उप पट्टे (सब-लीज) पर स्थायी/अस्थायी रूप से नहीं दे सकती। उप पट्टे/किराये पर देने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जाकर भूखण्ड जब्त कर लिया जायेगा तथा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
3. पट्टेदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे सरकार समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में शहरी जमाबन्दी (लीज राशि) के दौर पर अंके नि: शुल्क रु. — पै. (अक्षरे —) मात्र पेशगी अदा करेगा। यदि शहरी जमाबन्दी नियत तारीख तक जमा नहीं की गई तो बकाया रकम पर तत्समय प्रचलित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।
4. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् 25 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी।
5. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्षित रकम या उसके किसी अंश का जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर जविप्रा ऐसी रकम या उसके अंश को उस तारीख से जो उस समय मालगुजारी के बकया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेंगी और वसुल करने के लिए सक्षम होगी।
6. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस सार्वजनिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जायेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपभोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
7. भूखण्ड पर निर्माण कार्य आवंटन की दो वर्ष की अवधि में प्रारम्भ कर पूर्ण करना होगा अन्यथा भूखण्ड के पेटे जमा कराई गई राशि विना ब्याज के लौटाई जाकर भूखण्ड जिस भी स्थिति में होगा जब्त कर लिया जायेगा।
8. पट्टेदार/आवंटों द्वारा भूखण्ड पर जो भी भवन निर्माण कार्य करवाया जावेगा वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त की गई स्वीकृति एवं स्वीकृत किये गये मानचित्रों के अनुसार ही किया जावेगा।
9. आवंटी संस्था सक्षम अधिकारों को सीधे वे तमाम साधारण विशेष और स्थानीय कर/दर/अपवाद/लागत अदा करेगी जो उक्त भूखण्ड या उनके किसी भाग के सम्बन्ध में या उस पर बनाये गये किसी भवन या भवनों ब्राह्य गृहों या बाड़ियों अन्य तामीरों के सम्बन्ध मे या उस समय आयद किये या लगाये गये हों और काबिल अदा हों।
10. चूँकि उपरोक्त भूखण्ड विशेष शर्तों के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है अतः भूखण्ड को राज्य सरकार या किसी विधि मान्य वित्तीय संस्था से भूखण्ड के अधिकृत उपयोग हेतु ऋण लिये जाने के एवज में रहन रखने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से रहन/बेचान/किराये इत्यादि के लिये हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। संस्था के अवसान में चले जाने अथवा जिस उद्देश्य के लिए संस्था शुरू की गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् संस्था के बन्द हो जाने की दशा में उक्त सम्पति स्वतः ही जयपुर विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार के स्वामित्व में मानी जावेगी तथा इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।
11. संस्था के बोर्ड/प्रबन्धकारिणी में एक सदस्य प्राधिकरण का तथा एक सदस्य राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का होगा। इस संबंध में संस्था यथोचित प्रावधानों का निर्माण करेगी एवं यथानुरूप उप नियम संस्वीकृत करा जविप्रा को उप नियमों की प्रति सहित 60 दिन की अवधि में सूचित करेगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने को पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन मान तद्नुरूप कार्यवाही की जायेगी। आवंटित भूमि पर भवन विकास एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई भी निर्णय बोर्ड/प्रबंधकारिणी की बैठक में ही लिये जायेंगे एवं ऐसी बैठक में प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि को बुलाना अनिवार्य होगा।
12. संस्था को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना एवं कर इत्यादि का भुगतान करना होगा।
13. पट्टेदार/आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुये भवन यदि कोई हों, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
14. यदि संस्था को आवंटित भूमि का कोई भाग याद में किसी समय राज्य सरकार द्वारा या आवंटनकर्ता संस्था द्वारा किसी विकास कार्य हेतु आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार अथवा आवंटनकर्ता संस्था प्राधिकरण उस भू-भाग को आवंटन की दर पर वापिस ले सकने के लिये स्वतन्त्र होगा। यदि उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य या अन्य कोई विकास कार्य किया गया होगा तो उसके लिए मुआवजा अलग से देय होगा।

कृ.प.ऊ.

15. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रयोजन के लिए आवंटित भूखण्ड पर संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा एतदर्थत समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार आरक्षण/भर्ती/फीस आदि का उक्त आवंटित संस्था को पालना करनी होगी।

16. राज्य हित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा। भू-आवंटन नीति 2015 के तहत)

इस भूखण्ड की वार्षिक शहरी जमाबन्दी नि:शुल्क रुपये की पंजीकृत मूल्य राशि रुपये 500+50 होती है। अतएव स्टाम्प स्टाम्प नं. 1261 1262 संख्या 1+1 राशि 500+50 रुपये बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

कस्बे का नाम जयपुर विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 100482.70 व०मी०	पूर्व .... पश्चिम .... प्लाट की संख्या यदि कोई हो 8 सीमा उत्तर .... दक्षिण .... योजना का नाम संस्थागत योजना लक्ष्मीकलां	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	स्थान मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

राजस्थान सरकार की ओर से

राजस्थान सरकार की ओर से
आज सन् 2021 के जुलाई वे दिन 14
श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, RAS
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन 12
जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

(उपायुक्त जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर)
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :

(1) नाम ....
पिता का नाम लक्ष्मी नारायण मीणा पुत्र श्री नानगराम
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा, जयपुर
निवास स्थान ....

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम ....
पिता का नाम राजाराम मीना पुत्र श्री रामचन्द्र मीना
व्यवसाय सूचना सहायक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
निवास स्थान ....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 14-07-2021 को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री राजनारायण शर्मा, कुलसचिव डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर खरीददार द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

खरीददार के हस्ताक्षर
राजनारायण शर्मा (आर.ए.एस.)
कुलसचिव
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

साक्षी :

(1) नाम Narsingh Lal Agarwal
पिता का नाम Shri Ram Swaroop Agarwal
व्यवसाय Retd. Govt. Service
निवास स्थान E-108 Govindpuri Ram Nagar Sodala Jaipur

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम सीताराम सैनी
पिता का नाम पन्नाराम सैनी
व्यवसाय सरपंच ग्रा.प. गोनेर/बगरू
निवास स्थान P.W. 86 ... वार्ड-26 ... जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF INSTITUTIONAL PLOT NO:- 8 ALLOTED FOR DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY IN JDA INSTITUTIONAL SCHEME DEHMI KALAN AT VILLAGE-DEHMI KALAN, TEHSIL- SANGANER, DISTT-JAIPUR.

PLOT AREA = 100482.70 SQ.MTR.
B.A.R.:- 2.00 (STANDARD)
PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA :- 40%
HEIGHT & OTHER'S PARAMETERS - WILL BE AS PER MODEL BUILDING BYE LAWS 2020
SCALE -1CM=40M

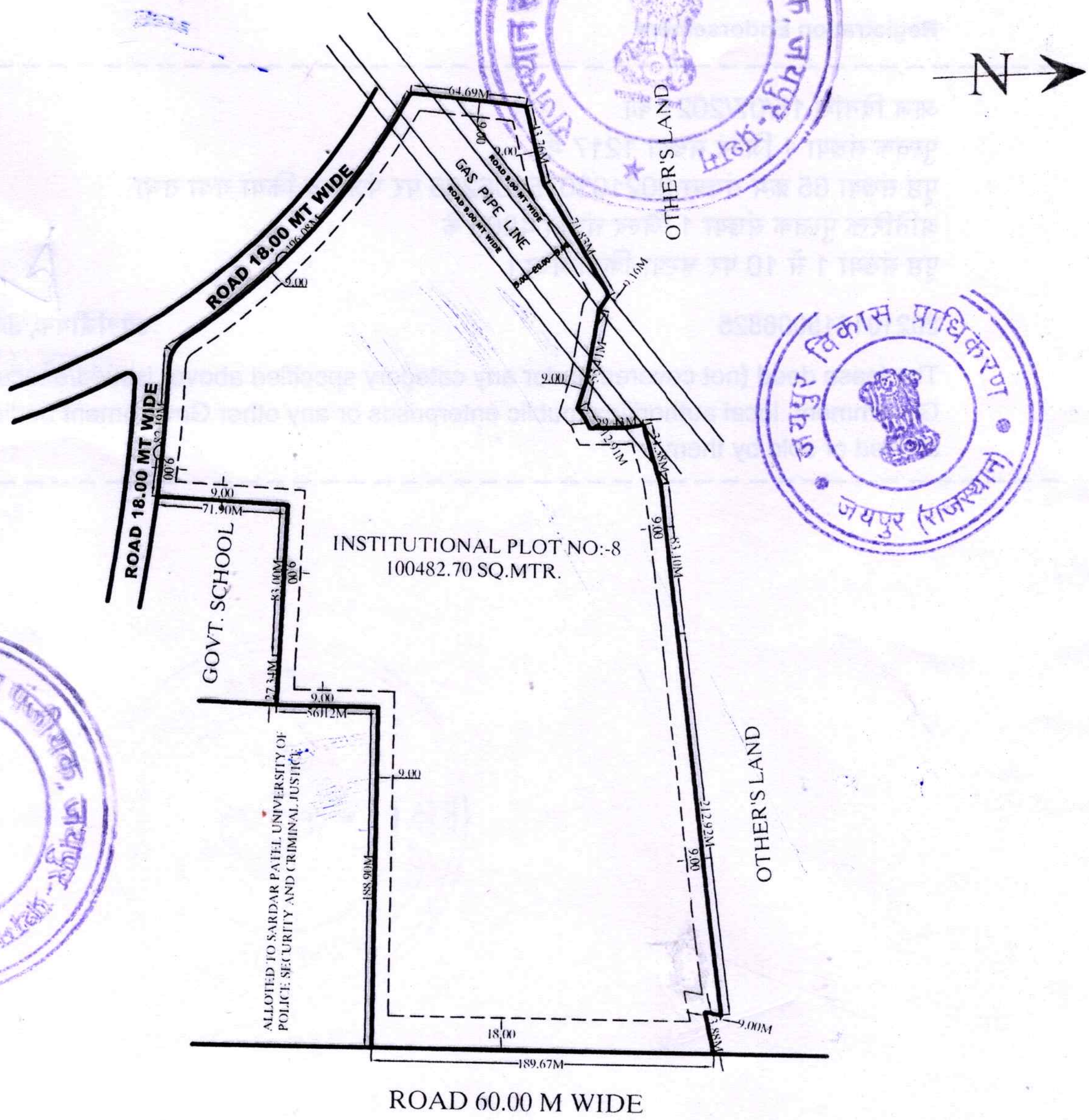

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राजस्थान)

SITE ENGINEER
ZONE-12

A.T.P
ZONE-12

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
DY. COMMISSIONER
ZONE-12

Registration Endorsement

आज दिनांक 15/07/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1217 में
पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 202103015106206 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4863 के
पृष्ठ संख्या 1 से 10 पर चस्पा किया गया ।

202101015006825 — उप पंजीयक, JAIPUR-I

The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री RAJ NARAIN SHARMA AS REGISTRAR DR BHEEMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAM JI LAL SHARMA, व्यवसाय Serviceजाति 0-BRAHMIN House No.:B-277, Colony: DURGAPURA, Area: GOPALPURA BYE PASS, City: JAIPUR, Pin code: 302018, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	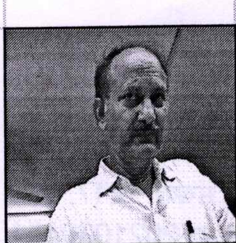		Executant Age : 58 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री JDA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIPUR, व्यवसाय जाति Jaipur Development Authority			Claimant Age : 0 Signature :

ने लेख्यपत्र The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री NARSINGH LAL AGARWAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMSWAROOP AGARWAL जाति HINDU Age: 65 Add: House No.:E-108, Colony: GOIVINDPURI RAM NAGAR, Area: SODALA, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	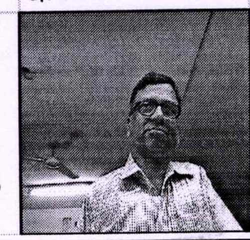		Signature

उप पंजीयक, JAIPUR-I

उप पंजीयक जयपुर (प्रथम)

202101015006825

The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.

Registration Endorsement

आज दिनांक 15/07/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1217 में
पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 202103015106206 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4863 के
पृष्ठ संख्या 1 से 10 पर चस्पा किया गया।

202101015006825

उप पंजीयक, JAIPUR-I

The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 15 माह 07 सन् 2021 को 04:43 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAJ NARAIN SHARMA AS REGISTRAR DR BHEEMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAM JI LAL SHARMA
उम्र 58 वर्ष, जाति 0-BRAHMIN , व्यवसाय Service
निवासी House No.:B-277, Colony: DURGAPURA, Area: GOPALPURA BYE PASS, City: JAIPUR, Pin code: 302018, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101015006825

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-I

उप पंजीयक
जयपुर (प्रथम)

The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102015007484
दिनांक	15-07-2021
पंजीयन शुल्क ₹	0
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	0
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	0
कुल योग	200

202101015006825

उप पंजीयक, JAIPUR-I

उप पंजीयक
जयपुर (प्रथम)

The lease deed (not covered under any category specified above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.

भारत INDIA
500 रुपये
RUPEES FIVE HUNDRED
SPECIAL ADHESIVE

कोषाधिकारी ... राज...
15 JUN ...
③
नॉन ज्यूडिशियल

कार्यालय, उप पंजीयक ...

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर (राजस्थान)

ज.वि.प्रा. की योजना संस्थागत योजना ग्राम ददवीकलां
के भुखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 100482.70 वर्गगज/वर्गमीटर
की लीजडीड हेतु 500+50 रूपये के स्टाम्प संलग्न है

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर (प्रथम)

14 JUL 2021

क्रमांक 121 दिनाक

नाम पिता का नाम रजिस्ट्रार

पता डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

मूल्य 500 वास्ते पट्टा

14 JUL 2021

सोनू गुप्ता
ला. स्टाम्प विक्रेता
143, श्री विहार कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभावित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रुपये 50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20% रुपये 100
कुल योग 150
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रू.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AV 473361

नॉन ज्यूडिशियल

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राजस्थान)

ज.वि.प्रा. की योजना सैन्यागार योजना, ग्राम- दहमीकलां

के भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 100482.70 वर्गगज/वर्गमीटर

की लीजडीड हेतु 500+50 रूपये के स्टाम्प संलग्न है

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक जयपुर (प्रथम)

14 JUL 2021

क्रमांक 1212 दिनांक

नाम पिता का नाम रजिस्ट्रार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

पता

मूल्य 50 वास्ते रजि०

सोनू गुप्ता 14 JUL 2021

ला. स्टाम्प विक्रेता

143 श्री विहार कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभावित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रूपये 5
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)-20% रूपये 10
कुल योग 15
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-प्रथम, राजस्थान सरकार